न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :— श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 — 118/2020(2020/00172)

अनवान : —

1. सन्दीप पुत्र हवासिंह जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. हवासिंह पुत्र श्रीराम जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
2. मुकेश पुत्री हवासिंह जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री हवासिंह जाति यादव निवासी भोजासर तहसील भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री मुंशीराम गोस्वामी वादी
श्री सुरजीत बिजारणियां प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः 01/10/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 115 के मु0न0 8 किला न0 9 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 9 के किला न0 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल किता 19 की 4.807 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 हवासिंह के नाम 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वाद भूमि पहले वादी के दादा श्रीराम की खातेदारी हुआ करती थी। श्रीराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी हवासिंह के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन मिली थी। परन्तु प्रतिवादी हवासिंह कर्ता खान दान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी हवासिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की संयुक्त पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी हवासिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला—हनुमानगढ़)

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 हवासिंह को वादी के दादा श्रीराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जो जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 115/74 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का उक्त वाद भूमि में 1/4 हक व हिस्सा है।

वादी अपने बंटवारा में मिली भूमि से केसीसी ऋण एवं अन्य सरकारी योजनाओं इत्यादि का लाभ लेना चाहता है इसलिए वादी पारिवारिक समझौता एवं बंटवारा अनुसार अर्जीदावा की मद संख्या 3 में दर्ज वादभूमि रोही मौजा चक 2 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 115 के मु0न0 8 किला न0 9 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 9 के किला न0 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल किता 19 की 4.807 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 हवासिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार है इसी अनुसार वादी हक हिस्सा घोषित करवाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

साक्ष्य वादी में वादी सन्दीप पुत्र हवासिंह जाति यादव निवासी भोजासर के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबंदी चक 2 एमएसआर सम्वत 2073–76 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवायें।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभि[illegible] किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन [illegible] वादी ने रोही मौजा रोही मौजा चक 2 एमएसआर के वर्तमान खाता सं [illegible] के मु0न0 8 किला न0 9 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 9 के किला न0 6, 7, 14 [illegible] 17, 24, 25 कुल किता 19 की 4.807 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 हवासिंह के नाम 1/2 हिस्सा नहरी मय खाला खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी हवासिंह के नाम राजस्व रिकार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला–हनुमानगढ़)

में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। परन्तु प्रतिवादी सं 2 व 3 ने अपना हक हिस्सा वादी तथा प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 2 एमएसआर के वर्तमान खाता सं 115 के मु0न0 8 किला न0 9 ता 13, 18 ता 23 मु0 न0 9 के किला न0 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 कुल किता 19 की 4.807 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 हवासिंह के नाम 1/2 हिस्सा नहरी मय खाला खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें वादी सन्दीप एवं प्रतिवादी सं 1 हवासिंह बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के द्वारा त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01/10/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2022.01.10 10:14:38 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)